**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**
**मध्यप्रदेश**

**कमांक.4/शिका/सेल.5/राजगढ़/2018/** 1659 **भोपाल, दिनांक** 12/9/18

**//आदेश//**

डॉ.अनुसूईया गवली, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ में उनकी पदस्थी के दौरान राजगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयों में सफाई, सुरक्षा एवं बायोमेड़िकल वेस्ट मद में निर्धारित वार्षिक मापदण्ड़ राशि से अधिक राशि का व्यय किये जाने संबंधी तथ्य संचालनालय की बजट शाखा के संज्ञान में आने के परिणामस्वरूप संचालनालय स्तर पर आदेश कमांक. 6/बजट–2210/2018–19/228/दिनांक 21.06.2018 द्वारा जांच दल गठित कर प्रकरण की जांच कराते हुये जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया।

जांच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ में सफाई मद के दौरान निम्न वित्तीय अनियमिततायें परिलक्षित हुई :– पूर्ण रूपेण सफाई के मद से विभिन्न प्रकार की सफाई सामग्री, औषधि एवं अन्य प्रकार की सामग्री, उपकरण आदि का कय किया गया कुल कय रूपये 98,54,991 का किया गया। यह भी कि इस मद में मापदण्ड़ रूपये 34,04,736/– अनुसार 15 प्रतिशत सामग्री रूपये 4,44,096/–मात्र अनुमत्य भी की जाये तो भी इस सीमा से अधिक सामग्री पर कय रूपये 94,10,895/– की गई जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में जांच उपरान्त पाया गया तथा लेखाशीर्षो का मद भी परिवर्तन किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ द्वारा लोकनिधि से व्यय के लिये आवश्यक शर्तो का पालन न करते हुये मध्यप्रदेश वित्त संहिता, भण्ड़ार कय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 तथा वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 में प्रत्योजित अधिकारों का उल्लंघन किया गया। मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 291 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी के भी कर्त्तव्य का निर्वहन न करते हुये शासकीय कोष से असमानुपातिक आहरण करवाया गया एवं समग्रता में इस नियम का पालन डॉ.अनुसूईया गवली मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ द्वारा नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप संचालनालय के आदेश कमांक.4/शिका.सेल.5/राजगढ़/2018/1229 दिनांक 29.06.2018 द्वारा डॉ.गवली को निलंबित करते हुये संचालनालय के पत्र दिनांक 08.08.2018 द्वारा उन्हें आरोप पत्रादि जारी किये गये थे।

प्रदेश में चिकित्सकों की अत्यधिक कमी को दृष्टिगत रखते हुये डॉ.अनुसूईया गवली को एतद् आदेश द्वारा उन्हें निलंबन से बहाल कर तत्काल प्रभाव से इन्हें स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद पर जिला चिकित्सालय रायसेन में पदस्थ किया जाता है।

डॉ.अनुसूईया गवली की निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच में लिये गये निर्णय उपरान्त पृथक से किया जावेगा।

***<u>अपर मुख्य सचिव,स्वास्थ्य द्वारा आदेशित।</u>***

12.9.18
( विवेक श्रोत्रिय )
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

**निरन्तर.......2**

पृ.कमांक.4/शिका/सेल.5/सीहोर/2018/ भोपाल,दिनांक

**प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—**

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त आदेशों के पालन में प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला राजगढ़/रायसेन,मध्यप्रदेश।
4. अतिरिक्त संचालक,वित्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में उनके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 27.06.2018 के संदर्भ में प्रेषित।
4. संचालक,अस्पताल प्रशासन शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
6. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़/रायसेन मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला राजगढ़/रायसेन,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
9. संभागीय कोष एवं लेखा भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी राजगढ़/रायसेन,मध्यप्रदेश।
11. डॉ.अनुसूईया गवली, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ **द्वाराः**—क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस.स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करें।
13. आदेश नस्ति।

12.9.18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4 / शिका / सेल.5 / हरदा / 2018 / 1657 भोपाल, दिनांक 12/9/18

// आदेश //

डॉ.आर.के.धुर्वे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा में उनकी पदस्थी के दौरान हरदा जिले में वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयों में सफाई, सुरक्षा एवं बायोमेड़िकल वेस्ट मद में निर्धारित वार्षिक मापदण्ड़ राशि से अधिक राशि का व्यय किये जाने संबंधी तथ्य संचालनालय की बजट शाखा के संज्ञान में आने के परिणामस्वरूप संचालनालय स्तर पर आदेश क्रमांक.6 / बजट–2210 / 2018–19 / 228 दिनांक 21.06.2018 द्वारा जांच दल गठित कर प्रकरण की जांच कराते हुये जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया।

जांच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा में सफाई मद में निम्न वित्तीय अनियमिततायें परिलक्षित हुई :–पूर्ण रूपेण सफाई के मद से विभिन्न प्रकार की सफाई, सामग्री एवं बायोमेड़िकल वेस्ट कनेक्शन बैग की सामग्री आदि का क्रय किया गया कुल क्रय रूपये 38,89,432/–का किया गया । इस मद में मापदण्ड़ रूपये शून्य था परन्तु पूर्ण व्यय रूपये 38,89,432/–का सामग्री क्रय पर किया गया जो कि वित्तीय अनियमितता है साथ ही लेखाशीर्षो का मद भी परिवर्तन किया गया।

डॉ.धुर्वे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा द्वारा कार्यालय में क्रय समिति का गठन नहीं किये जाने तथा भण्ड़ार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन न करने तथा क्रय आदेशों को टुकड़ो– टुकड़ो में विभाजित किये जाने के साथ ही वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 में प्रत्योजित अधिकारों का उल्लंधन किये जाने के परिणामस्वरूप संचालनालय के आदेश क्रमांक.4 / शिका. / सेल.5 / हरदा / 2018 / 1235 दिनांक 29.06.2018 द्वारा डॉ.धुर्वे को निलंबित करते हुये संचालनालय के पत्र दिनांक 08.08.2018 द्वारा उन्हें आरोप पत्रादि जारी किये गये थे।

प्रदेश में चिकित्सकों की अत्यधिक कमी को दृष्टिगत रखते हुये डॉ.आर.के.धुर्वे को एतद् आदेश द्वारा उन्हें निलंबन से बहाल कर तत्काल प्रभाव से इन्हें जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी जिला बैतूल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

डॉ.आर.के.धुर्वे की निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच में लिये गये निर्णय उपरान्त पृथक से किया जावेगा।

*अपर मुख्य सचिव,स्वास्थ्य द्वारा आदेशित।*

12.9.18

( विवेक श्रोत्रिय )
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर......2

पृ.कमांक.4 / शिका / सेल.5 / हरदा / 2018 / 1658 भोपाल,दिनांक 12/9/18

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल, मध्य प्रदेश।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त आदेशों के पालन में प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला हरदा / बैतूल ,मध्यप्रदेश।
4. अतिरिक्त संचालक,वित्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में उनके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 27.06.2018 के संदर्भ में प्रेषित।
4. संचालक,अस्पताल प्रशासन शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. उप संचालक,विज्ञप्त / गोपनीय / लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
6. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा / बैतूल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला हरदा / बैतूल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
9. संभागीय कोष एवं लेखा भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी हरदा / बैतूल,मध्यप्रदेश।
11. डॉ.आर.के.धुर्वे,तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा **द्वाराः**—क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस.स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करें।
13. आदेश नस्ति।

12.9.18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4 / शिका / सेल.2 / धार / 2018 / 1655 भोपाल, दिनांक 12/9/18

// आदेश //

डॉ.एस.के.खरे, अस्थिरोग विशेषज्ञ सह प्रभारी सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय धार में उनकी पदस्थी के दौरान धार जिले में वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयों में सफाई, सुरक्षा एवं बायोमेड़िकल वेस्ट मद में निर्धारित वार्षिक मापदण्ड राशि से अधिक राशि का व्यय किये जाने संबंधी तथ्य, संचलनालय की बजट शाखा के संज्ञान में आने के परिणामस्वरूप संचालनालय स्तर पर आदेश क्रमांक.6 / बजट–2210 / 2018–19 / 228 / दिनांक 21.06.2018 द्वारा जांच दल गठित कर प्रकरण की जांच कराते हुये जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया।

जांच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार में सफाई मद में निम्न वित्तीय अनियमिततायें परिलक्षित हुई :–पूर्ण रूपेण सफाई के मद से विभिन्न प्रकार की सफाई सामग्री, बायोमेड़िकल वेस्ट कलेक्शन बैग की सामग्री आदि का वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रूपये 1,02,20,690 / –का क्रय किया गया। यह भी कि इस मद में मापदण्ड रूपये 4910454 अनुसार 15 प्रतिशत सामग्री रूपये 6,40,500 मात्र अनुमत्य भी की जाये तो भी इस सीमा से अधिक रूपये 9580190 वित्तीय वर्ष 2018–19 में सामग्री क्रय की गई जो कि वित्तीय अनियमितता है तथा लेखाशीर्षो का मद परिवर्तन भी किया गया।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा इस सामग्री के क्रय में लोक निधि से व्यय के लिये आवश्यक शर्तो का पालन नहीं करते हुये मध्यप्रदेश वित्त संहिता, भण्ड़ार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग 1 के नियमों का पालन नहीं किये जाने तथा क्रय समिति का गठन न किया जाकर क्रय आदेशों को टुकड़ो–टुकड़ो में विभाजित किये जाने के साथ ही वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 में प्रत्योजित अधिकारों का उल्लंधन किये जाने के परिणामस्वरूप संचालनालय के आदेश क्रमांक.4 / शिका. / सेल.2 / धार / 2018 / 1233 / दिनांक 29.06.2018 द्वारा डॉ.खरे को निलंबित करते हुये संचालनालय के पत्र दिनांक 08.08.2018 द्वारा उन्हें आरोप पत्रादि जारी किये गये थे।

प्रदेश में चिकित्सकों की अत्यधिक कमी को दृष्टिगत रखते हुये डॉ.एस.के.खरे को एतद् आदेश द्वारा उन्हें निलंबन से बहाल कर तत्काल प्रभाव से इन्हें अस्थिरोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय खण्ड़वा के रिक्त पद पर पदस्थ किया जाता है।

डॉ.एस.के.खरे की निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच में लिये गये निर्णय उपरान्त पृथक से किया जावेगा।

*अपर मुख्य सचिव,स्वास्थ्य द्वारा आदेशित।*

12/9/18
( विवेक श्रोत्रिय )
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर......2

पृ.क्रमांक.4/शिका/सेल.2/धार/2018/ भोपाल,दिनांक

**प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—**

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल, मध्य प्रदेश।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त आदेशों के पालन में प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला धार/खण्ड़वा,मध्यप्रदेश।
4. अतिरिक्त संचालक,वित्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में उनके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 27.06.2018 के संदर्भ में प्रेषित।
4. संचालक,अस्पताल प्रशासन शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
6. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार/खण्ड़वा/मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला धार/खण्ड़वा,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
9. संभागीय कोष एवं लेखा इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी धार/खण्ड़वा,मध्यप्रदेश।
11. डॉ.एस.के.खरे,अस्थिरोग विशेषज्ञ सह ,तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला धार **द्वाराः**—क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस.स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करें।
13. आदेश नस्ति।

12.9.18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका/सेल.5/सीहोर/2018/ 1653 भोपाल, दिनांक 12/9/18

//आदेश //

डॉ.दयाराम अहिरवार,प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर में उनकी पदस्थी के दौरान सीहोर जिले में वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयों सफाई, सुरक्षा एवं बायोमेड़िकल वेस्ट मद में निर्धारित वार्षिक मापदण्ड़ राशि से अधिक राशि का व्यय किये जाने संबंधी तथ्य संचालनालय की बजट शाखा के संज्ञान में आने के परिणामस्वरूप संचालनालय स्तर पर आदेश क्रमांक.6/बजट–2210/2018–19/228/दिनांक 21.06.2018 द्वारा जांच दल गठित कर प्रकरण की जांच कराते हुये जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया।

जांच दल द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर में सफाई मद में निम्न अनियमिततायें परिलक्षित हुई :–पूर्ण रूपेण सुरक्षा के मद से विभिन्न प्रकार की सुरक्षा सामग्री, आदि का क्रय किया गया कुल क्रय रूपये 49,98,893/–का किया गया। इस मद में जो व्यय होना था वह मैनपॉवर पर होना था। इस मद में मापदण्ड़ रूपये 12,96,000/–था परन्तु पूर्ण व्यय मैनपावर पर न करते हुये रूपये 49,98,893/–का सामग्री क्रय पर किया गया जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में पाया गया एवं लेखाशीर्षो का मद परिवर्तन किया गया।

डॉ.अहिरवार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सीहोर कार्यालय में क्रय समिति का गठन नहीं किया गया तथा क्रय आदेशों को टुकड़ो–टुकड़ो में विभाजित किये जाने के साथ ही वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 में प्रत्योजित अधिकारों का उल्लंधन किया जाना पाये जाने के परिणामस्वरूप संचालनालय के आदेश क्रमांक.4/शिका.सेल.5/सीहोर/2018/1231/दिनांक 29.06.2018 द्वारा डॉ.अहिरवार को निलंबित करते हुये संचालनालय के पत्र दिनांक 08.08.2018 द्वारा उन्हें आरोप पत्रादि जारी किये गये थे।

प्रदेश में चिकित्सकों की अत्यधिक कमी को दृष्टिगत रखते हुये डॉ.दयाराम अहिरवार को एतद् आदेश द्वारा उन्हें निलंबन से बहाल कर तत्काल प्रभाव से इन्हें जिला परिवार कल्याण अधिकारी जिला रायसेन के पद पर पदस्थ किया जाता है।

डॉ.दयाराम अहिरवार की निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच में लिये गये निर्णय उपरान्त पृथक से किया जावेगा।

***अपर मुख्य सचिव,स्वास्थ्य द्वारा आदेशित।***

12.9.18

( विवेक श्रोत्रिय )
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.........2

**पृ.कमांक.4/शिका/सेल.5/सीहोर/2018/** **भोपाल,दिनांक**

**प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल, मध्य प्रदेश।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त आदेशों के पालन में प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला सीहोर/रायसेन,मध्यप्रदेश।
4. अतिरिक्त संचालक,वित्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में उनके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 27.06.2018 के संदर्भ में प्रेषित।
4. संचालक,अस्पताल प्रशासन शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
6. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर/रायसेन मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला सीहोर/रायसेन,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
9. संभागीय कोष एवं लेखा भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी सीहोर/रायसेन,मध्यप्रदेश।
11. डॉ.दयाराम अहिरवार,तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर **द्वाराः**–क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस.स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करें।
13. आदेश नस्ति।

12.9.18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश